

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-2-07/2023

78

/पटना, दिनांक:- 30.1.20

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा के पत्रांक-1956 अनु0 दिनांक-04.10.2023 के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री श्रीकान्त विद्यार्थी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी, कार्य प्रशाखा, कलुआही-01 को अपने स्वयं के ईलाज कराने हेतु दिनांक-24.03.2020 से 19.04.2020 तक कुल 27 दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।


(निर्मला कुमारी)

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-07/2023 1235

/पटना, दिनांक:- 30.1.20

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-07/2023 1235

/पटना, दिनांक:- 30.1.20

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्री विद्यार्थी, कनीय अभियंता के स्वीकृत अवकाश अवधि को उनके सेवा पुस्त में निश्चित रूप से अंकित करते हुए नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-07/2023 1235

/पटना, दिनांक:- 30.1.20

प्रतिलिपि:- श्री श्रीकान्त विद्यार्थी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-2-07/2023 1235

/पटना, दिनांक:- 30.1.20

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।